[2018] 4 एस. सी. आर. 1012

भारत का संघ और ए. एन. आर.

वी.

राघुवर पाल सिंह

(2012 की सिविल अपील सं. 1636)

13 मार्च, 2018

[दीपक मिश्रा, सीजेआई, ए. एम. खानविलकर और

डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे. जे.]

सेवा कानूनः

निर्देश-इसलिए, पूर्व अनुमोदन के बिना नियुक्ति सक्षम प्राधिकारी, अधिकार की कमी के दुष्प्रभाव से पीड़ित है और

कानून में रद्द करना-नियुक्ति एक शून्य होने के कारण ऐसी नियुक्ति की समाप्ति से पहले प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के पालन का कोई सवाल ही नहीं था-केंद्रीय पशु प्रजनन मंच (श्रेणी III और IV पद) भर्ती नियम, 1969-प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

'केंद्रीय पशु प्रजनन फार्म (तृतीय और चतुर्थ श्रेणी)' शीर्षक से पद) भर्ती नियम, 1969, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया जाता है और उस संबंध में जारी किए गए कार्यकारी निर्देशों को शामिल किया जाता है।

इस तरह की भर्ती के लिए उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार, नियुक्ति पत्र केवल एक अधिकृत अधिकारी द्वारा और सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन प्रदान करने के बाद जारी किया जा सकता है। भले ही यह माना जाए कि तत्कालीन निदेशक प्रभारी के पास नियुक्ति पत्र जारी करने का अधिकार था। फिर भी, वह सक्षम प्राधिकारी से पूर्व लिखित अनुमोदन प्राप्त करने पर ही ऐसा कर सकता था। मूल आवेदन में ऐसा कोई मामला नहीं बनाया गया है कि प्रतिवादी को नियुक्ति पत्र जारी करने से पहले सक्षम प्राधिकारी द्वारा उचित अनुमोदन दिया गया था। [पैरा 16 17] [1025-जी-एच; 1026-सी-डी]

2. सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति के अभाव में,

3. विषय कार्यालय का दिनांकित 29.08.2000 आदेश इस कथन के साथ शुरू होता है कि इसे मंत्रालय के निर्णय के अनुपालन में पत्र No.8-6/1999-ADMN.III dt के माध्यम से जारी किया गया था। 18.08.2000 . मंत्रालय के उक्त संचार-सह-निर्णय के संदर्भ में, इसे विषय कार्यालय के आदेश में शामिल किया गया था। इसके अलावा, विषय कार्यालय आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्रत्यर्थी की नियुक्ति तत्कालीन प्रभारी निदेशक द्वारा अवैध रूप से की गई थी। अवैध नियुक्ति का यह कारण चयन बोर्ड के एकतरफा गठन (चयन के निर्धारित संविधान के अनुसार नहीं) को अपने दायरे में लेता है।

बोर्ड) और निदेशक प्रभारी ने भी खुद को ऐसे बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नामित किया, हालांकि बोर्ड में रहने के लिए अयोग्य घोषित किया गया क्योंकि उम्मीदवार उससे संबंधित था। नतीजतन, मंत्रालय ने मामले के सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद समग्र निर्णय लिया, जिसमें यह भी शामिल था कि यह केवल प्रतिवादी की एकल नियुक्ति नहीं थी, बल्कि उनके हस्ताक्षर के तहत उनके द्वारा जारी किए गए अन्य नियुक्ति पत्र भी थे। उनके द्वारा की गई ऐसी सभी नियुक्तियां धोखाधड़ी और बिना अधिकार के होने के कारण जांच के दायरे में आईं। इस तरह की नियुक्तियां स्पष्ट रूप से कानून की दृष्टि से अमान्य होंगी। [पैरा 18] [1026 एफ-एच; 1027-ए-बी]

4. यदि नियुक्ति पत्र अमान्य हैं, जो एक ऐसे अधिकारी द्वारा जारी किए गए हैं, जिनके पास ऐसा करने का अधिकार नहीं था, तो ऐसा नहीं था

प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के पालन का प्रश्न भले ही प्रभावित पक्ष न्यायालय के समक्ष न हो। केवल यह तथ्य कि इस तरह का नियुक्ति पत्र प्रत्यर्थी के पक्ष में जारी किया गया था, उसके पक्ष में कोई अधिकार नहीं देता है। वर्तमान मामले की वास्तविक स्थिति में, विषय कार्यालय आदेश जारी करने से पहले प्रतिवादी को सुनवाई का अवसर देना एक आवश्यक आवश्यकता नहीं थी और यह व्यर्थ में एक अभ्यास होगा। [पारस 19,22 और 27] [1027-सी-डी; 1030-ए; 1031-जी]

5. उच्च न्यायालय ने अपने सही [2018] 4 एस. सी. आर. में विषय कार्यालय के आदेश में दर्ज महत्वपूर्ण कारण की प्रभावकारिता का विश्लेषण नहीं किया है।

आदेश न्यायसंगत और ठोस कारण दर्ज करता है कि प्रतिवादी की नियुक्ति अवैध क्यों है। जब तक विषय कार्यालय के आदेश में उल्लिखित मुख्य कारण असमर्थनीय नहीं पाया जाता, तब तक उच्च न्यायालय यह निष्कर्ष नहीं निकाल सकता था कि विषय कार्यालय का आदेश केवल इसलिए दूषित किया गया था क्योंकि यह प्रतिवादी को बिना किसी सूचना या अवसर की कमी के जारी किया गया था। इसी तरह, यह तथ्य कि न्यायाधिकरण ने पक्षों द्वारा आग्रह किए गए अन्य आधारों (विषय कार्यालय के आदेश में उल्लिखित कारण के अलावा) पर ध्यान दिया है, विषय कार्यालय के आदेश को अमान्य करने का आधार नहीं हो सकता है जो अन्यथा न्यायसंगत है और उचित है। उच्च न्यायालय उन अन्य कारणों को नजरअंदाज कर सकता था /

न्यायाधिकरण द्वारा ध्यान में रखे गए आधार। [पारस 22-23] [1030 B-F]

भारत संघ और अन्य। वी. एम. भास्करन (1995) पूरक। 4 एस. सी. सी. 100 [1995] 4 पूरक। एससीआर 526; केंद्रीय

विद्यालय संगठन और अन्य। बनाम अजय कुमार दास और

ओआरएस। (2002) 4 एससीसी 503: [2002] 3 एस. सी. आर. 609; मणिपुर राज्य और अन्य। वी. वाई. टोकन सिंह और अन्य। (2007) 5 एससीसी 65: [2007] 2 एससीआर 965; एम. सी. मेहता बनाम। भारत संघ और अन्य। (1999) 6 एससीसी 237: [1999] 3 एस. सी. आर. 1173; धीरेंद्र सिंह और अन्य। वी. हरियाणा राज्य और अन्य।

(1997) 2 एससीसी 712: [1996] 9 पूरक। एससीआर 693-निर्भर पर।

सुधार न्यास, करनाल बनाम। प्रकाश वंती (श्रीमती) (मृत) और अन्र। (1995) 5 एससीसी 159: [1995] 1 पूरक। एस. सी. आर. 136; मॉन्ट्रियल स्ट्रीट रेलवे कंपनी बनाम। नॉरमैंडिन एयर (1917) प्रिवी काउंसिल 142 -

प्रतिष्ठित।

भारत का संघ और ए. एन. आर. वी. राघुवर पाल सिंह

यू. पी. और अन्य का राज्य। वी. यू. पी. राज्य विधि अधिकारी संघ

& ओआरएस। (1994) 2 एससीसी 204: [1994] 1 एस. सी. आर. 328; भोपाल

सिंह बनाम। राजस्थान राज्य (1988) 2 आरएलडब्ल्यू 428 -

संदर्भित किया गया।

मामला कानून संदर्भ

[1995] 4 पूरक। एससीआर 526

उस पर भरोसा करें

पैरा 7

[1994] 1 एससीआर 348

संदर्भित किया गया है

पैरा 7

[2002] 3 एससीआर 609

उस पर भरोसा करें

पैरा 7

[1993] 3 एससीआर 930

पैरा 9

प्रतिष्ठित

(1988) 2 आरएलडब्ल्यू 428

संदर्भित किया गया है

पैरा 9

[2007] 2 एससीआर 965

उस पर भरोसा करें

पैरा 11

(1968) 1 एससीआर 164

पैरा 13

प्रतिष्ठित

[1995] 1 पूरक। एससीआर 136

पैरा 13

प्रतिष्ठित

ए. आई. आर. (1917) प्रिवी काउंसिल

प्रतिष्ठित

पैरा 13

[1999] 3 एससीआर 1173

उस पर भरोसा करें

पैरा 21

[1996] 9 पूरक। एससीआर 693

उस पर भरोसा करें

पैरा 22

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 1

2012 से।

उच्च निगम के 23.04.2010 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2002 की सिविल रिट याचिका संख्या 4235 में जोधपुर में राजस्थान सरकार की ओर से।

ए. के. पांडा, वरिष्ठ अधिवक्ता। , श्रीमती सी. के. सुचरिता, शैलेंद्र सा

राज बहादुर, डी. एस. माहरा, अधिवक्ता। अपीलार्थियों के लिए।

डॉ. मनीष सिंघवी, शैलजा नंदा मिश्रा, सत्येंद्र कुन

युवराज सिमंत, इरशाद अहमद, एड. उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

ए. एम. खानविलकर, जे. 1. पूछे गए केंद्रीय प्रश्न

यह अपील इस प्रकार हैः (i) क्या पशु चिकित्सा कम्पाउंडर के पद पर प्रतिवादी की नियुक्ति, सक्षम प्राधिकरण की मंजूरी के बिना प्रासंगिक समय पर प्रभारी निदेशक द्वारा की गई, एक अकृतता या केवल अनियमितता है, जिसे निम्न द्वारा समाप्त किया जा सकता है -

उनकी सेवाओं में व्यवधान को रोकने के लिए विभाग और; (ii) किसी भी मामले में, जहां उन्हें अवसर दिए बिना उनकी सेवाएं बाधित की जा सकती हैं।

सुनना।

18] 4 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

2. संक्षेप में कहा गया है कि प्रतिवादी को इस पद पर नियुक्त किया गया था

पशुपालन विभाग में पशु चिकित्सा कम्पाउंडर और

एक एच. एस. राठौर, तत्कालीन कृषि अधिकारी, केंद्रीय पशु प्रजनन फार्म (सी. सी. बी. एफ.), सूरतगढ़, जो कथित रूप से केवल निदेशक के पद के वर्तमान कर्तव्यों को देखने के लिए अधिकृत थे। यह नियुक्ति नवंबर 1999 में अस्थायी और अस्थायी आधार पर की गई थी, जो 15.10.1999 पर समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञापन के अनुसार थी। तथापि, 29 अगस्त, 2000 को निदेशक डॉ. एम. एन. हक के हस्ताक्षर के तहत जारी एक कार्यालय आदेश द्वारा, प्रतिवादी को समाप्त कर दिया गया। उक्त आदेश इस प्रकार हैः

" भारत सरकार

कृषि मंत्रालय

सभी और डेयरी विभाग

..... पशु प्रजनन फार्म

सूरतगढ़-335 804 (राज।)

दिनांक 29 अगस्त, 2000।

कार्यालय आदेश

मंत्रालय के निर्णय के अनुपालन में उनके पत्र No.8-6/99 के माध्यम से

एडमिन। III दिनांक 18 अगस्त, 2000 को श्री रघुवर पाल सिंह पुत्र श्री हिम्मत सिंह शेखावत की पशु चिकित्सा कम्पाउंडर के पद पर अवैध नियुक्ति, तत्कालीन निदेशक प्रभारी श्री एच. एस. राठौर, कृषि अधिकारी द्वारा की गई थी।

सक्षम प्राधिकारी, इस कार्यालय आदेश सं. 14-62/99-CPS/1562 के माध्यम से

दिनांक 24/30 नवंबर, 1999 को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है। तदनुसार, उनकी सेवा नियुक्ति पत्र संख्या के प्रस्ताव के बिंदु v) और vi) में निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार समाप्त हो जाती है। 5-17 / 96 99 / सीपीएस/1308 दिनांक 16/22 नवंबर, 1999।

(डॉ. एम. एन. हक)

निर्देशक "।

(जोर दिया गया)

3. प्रत्यर्थी ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के समक्ष 2000 का मूल आवेदन No.206 दाखिल करके उक्त आदेश पर हमला किया।

जोधपुर की जोधपुर पीठ ने अन्य बातों के साथ-साथ इस आधार पर भी नियुक्ति की कि अधिकारी मंडल द्वारा मामले पर विधिवत विचार करने के बाद और जो प्रतिवादी को नियुक्ति का प्रस्ताव जारी करने के लिए सक्षम थे, उनकी नियुक्ति की गई थी। इसके अलावा, यदि नियुक्ति प्रक्रिया में कोई अनियमितता थी, तो विभाग द्वारा इसकी जांच की जा सकती थी, लेकिन भारत और ए. एन. आर. के संघ के बिना।

वी. राघुवर पाल सिंह

[ए. एम. खानविलकर, जे.]

किसी भी जांच का सहारा लेते हुए, विवादित समाप्ति आदेश दिया गया था जारी किया गया। इस तरह की कार्रवाई भारत के संविधान के अनुच्छेद 311 (2) का उल्लंघन थी। प्रत्यर्थी के अनुसार, उनकी नियुक्ति विभाग द्वारा सभी औपचारिकताओं का निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से पालन करने के बाद की गई थी। उन्होंने जोर देकर कहा कि इसलिए विभाग को उनकी सेवाओं को समाप्त करने से रोक दिया गया। इसके अलावा, आक्षेपित आदेश एक समाप्ति सरलीकरण नहीं है, बल्कि प्रतिवादी के लिए पूर्वाग्रह का कारण बनेगा। यह एक कलंकित आदेश है जो दर्शाता है कि प्रत्यर्थी की नियुक्ति अवैध थी, जिसके कारण भी विभाग द्वारा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किया जाना चाहिए था।

3. अपीलकर्ताओं ने एक विस्तृत शपथ पत्र दाखिल करके उक्त मूल आवेदन का विरोध किया। अपीलार्थियों के अनुसार, प्रतिवादी ने ऐसा नहीं किया था साफ हाथों से अदालत का दरवाजा खटखटाया। इसमें उन्होंने प्रासंगिक दस्तावेजों की संख्या का उल्लेख किया है, जो किसी अन्य मामले से संबंधित हैं।

और न कि उसकी नियुक्ति या समाप्ति का आदेश। गुण-दोष पर, अपीलकर्ताओं द्वारा यह दावा किया गया कि पशु चिकित्सा कंपाउंडर के पद पर प्रतिवादी की नियुक्ति कानून के अनुसार नहीं थी। यह तत्कालीन निदेशक प्रभारी एच. एस. राठौर, कृषि अधिकारी द्वारा और सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना बनाया गया था। नियुक्ति पत्र जारी करने की तारीख को श्री एच. एस. राठौर के पास ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं था। अपीलार्थियों द्वारा यह दावा किया गया था कि दिनांक 15.10.1999 के विज्ञापन के अनुसार,

नियुक्ति केवल संबंधित के अनुरूप की जा सकती है

समय-समय पर संशोधित भर्ती नियम, जिसका शीर्षक 'केंद्रीय पशु प्रजनन फार्म (श्रेणी III और IV पद) भर्ती नियम, 1969' है। उक्त नियमों के संदर्भ में, तीन अधिकारियों वाले बोर्ड द्वारा एक साक्षात्कार आयोजित करने की आवश्यकता थी। फार्म के निदेशक, सबसे वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी और केंद्र/राज्य सरकार का एक सरकारी अधिकारी। हालाँकि, वर्तमान मामले में चयन प्रक्रिया और साक्षात्कार उक्त एच. एस. राठौर द्वारा एकतरफा रूप से गठित बोर्ड द्वारा आयोजित किया गया था, जिसमें उनके सहित सात सदस्य शामिल थे।

निदेशक प्रभारी। इसके अलावा, उन्होंने उक्त बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य शामिल थेः

" 1) श्री एच. एस. राठौर, 1/सी निदेशक अध्यक्ष 2)

श्री एस. सी. अग्रवाल, कार्यकारी सदस्य अभियंता, मध्य राज्य

फार्म (एस. एफ. सी. आई. लिमिटेड) (केंद्र सरकार का कार्यालय नहीं)

3) श्री सीएस। मनोहर, एसो। प्रोफेसर सदस्य पशु चिकित्सा महाविद्यालय,

बीकानेर (जबकि एक पशु चिकित्सा अधिकारी पहले से ही वहाँ है

कार्यालय स्वयं)

4) श्री आर. एल. असवाल, सहायक। एसटीएन। इंजीनियर सदस्य आकाशवाणी,

सूरतगढ़

5) डॉ. एम. एस. राठौर, परियोजना अधिकारी सदस्य यूआरएमयूएल डेयरी,

छतरगढ़ (जो केंद्रीय/राज्य कार्यालय नहीं है)

6)

श्री बलदेव सिंह, कृषि सहायक। सदस्य सी. सी. बी. एफ., सूरतगढ़

(समूह 'सी' कर्मचारी)

7) श्री ए. नरसिंह, तकनीकी सहायक। सदस्य सी. सी. बी. एफ. (ए समूह 'सी')

कर्मचारी) "

दूसरे शब्दों में, उक्त बोर्ड का गठन वैध रूप से नहीं किया गया था। इसके अलावा, प्रतिवादी एच. एस. राठौर के छोटे बहनोई का बेटा था, जो निदेशक प्रभारी और बोर्ड के अध्यक्ष थे। के अध्यक्ष

बोर्ड का नियुक्ति में सीधा संबंध और रुचि थी उत्तरदाता। इसके बाद यह कहा जाता है कि निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, सक्षम प्राधिकारी यानी कृषि मंत्रालय, पशु विभाग से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के बाद नियुक्ति की आवश्यकता होती है

पशुपालन और डेयरी, नई दिल्ली। मान लीजिए, प्रत्यर्थी को नियुक्ति पत्र जारी करने से पहले उस प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था।

इन सभी कारणों से, तत्कालीन निदेशक प्रभारी एच. एस. राठौर, कृषि अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी की नियुक्ति बिना किसी कानून के अधिकार के की गई थी। यह एक धोखाधड़ी वाली नियुक्ति थी। जब विभाग द्वारा इसे देखा गया, तो इसके तुरंत बाद, 29.08.2000 दिनांकित विषय कार्यालय आदेश जारी किया गया। यह कहा गया कि निदेशक प्रभारी के रूप में एच. एस. राठौर द्वारा की गई जूनियर मैकेनिक और ट्रैक्टर हेल्पर के पद पर दो अन्य उम्मीदवारों की नियुक्ति भी विभाग द्वारा इसी तरह की समाप्ति आदेश जारी करके रद्द कर दी गई। इसके अलावा, एच. एस. राठौर के खिलाफ संबंधित अवधि के दौरान गंभीर कदाचार करने और अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग करने के लिए विभागीय कार्रवाई शुरू की गई है। अपीलकर्ताओं ने बताया कि डॉ. बी. एस. सिंह को तदर्थ आधार पर सी. सी. बी. एफ., सूरतगढ़ के निदेशक के रूप में तैनात किया गया था और उन्हें उनके कार्यकाल के दौरान कार्यालय प्रमुख के रूप में कार्य करने का आदेश दिया गया था।

21.02.1995 . एच. एस. राठौर को नियुक्ति पत्र जारी करने के लिए कोई प्राधिकरण नहीं दिया गया था। वे केवल कृषि अधिकारी का पद संभाल रहे थे। एच. एस. राठौर की एकतरफा कार्रवाई पर विचार करते हुए, बड़ा जुर्माना

विभाग द्वारा उन्हें विशेष रूप से पशु चिकित्सा कम्पाउंडर, जूनियर मैकेनिक, ट्रैक्टर हेल्पर और मिल्कर के पद पर और एल. डी. सी. और यू. डी. सी. के पद पर तदर्थ आधार पर की गई नियुक्तियों के संदर्भ में 22.06.2001 पर ज्ञापन जारी किया गया था।

भारत का आयन और ए. एन. डी. आर. वी. राघुवर पाल सिंह [ए. एम. खानविलकर, जे.]

4. अन्य दो प्रभावित उम्मीदवारों ने भी चुनौती दी थी

उनके खिलाफ केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, जोधपुर पीठ ने मूल आवेदन के माध्यम से आदेश पारित किया। सभी ने तीनों ओ. ए. को एक साथ सुना क्योंकि उसमें उठाए गए मुद्दे समान थे।5. न्यायाधिकरण ने दोनों की प्रासंगिक दलीलों का विश्लेषण करने के बाद कहा कि प्रतिवादी सहित संबंधित आवेदक द्वारा पारित समाप्ति आदेश में कोई कमजोरी नहीं थी। द.

अल ने इस प्रकार उल्लेख कियाः

" 11. यह विवाद में नहीं है कि निदेशक के रूप में उनकी तदर्थ नियुक्ति तक,

चारा उत्पादन और प्रदर्शन के लिए क्षेत्रीय केंद्र,

सूरतगढ़, श्री एच. एस. राठौर को केवल कृषि अधिकारी, सी. सी. बी. एफ., सूरतगढ़ के रूप में तैनात किया गया था। यह दिनांकित 22.12.99 (OA 204/2000 के Arin.A/10) से स्पष्ट है। यह भी स्वीकार किया जाता है कि उसी ओ. ए. को दिए गए 25.8.92 (Ann.A/6) के आदेश के आधार पर, श्री राठौर को सी. सी. बी. एफ., सूरतगढ़ के निदेशक पद का वर्तमान प्रभार संभालने का आदेश दिया गया था। डॉ. बी. एस. सिंह को पहले कार्यवाहक निदेशक के रूप में तैनात किया गया था और उन्हें कार्यालय का प्रमुख घोषित किया गया था। डॉ. सिंह की नियुक्ति के बाद, श्री राठौर के कार्यालय प्रमुख के रूप में बने रहने के पक्ष में कोई घोषणा नहीं की गई थी। आवेदकों का तर्क है कि डॉ. सिंह के बाद से, उन्होंने कभी कार्यभार नहीं संभाला

निदेशक, सी. सी. बी. एफ., सूरतगढ़, श्री एच. एस. राठौर कार्यालय के प्रमुख के रूप में कार्य करते रहे। दिनांकित आदेश के अनुसार

15.7.99 श्री एम. एन. हक को निदेशक के रूप में तैनात किया गया था और

श्री एच. एस. राठौर से सी. सी. बी. एफ., सूरतगढ़ के निदेशक पद का कार्यभार संभालने का आदेश दिया गया। ओ. ए. 204/99 में पारित 10.8.99 दिनांकित आदेश के माध्यम से इस न्यायाधिकरण द्वारा इस आदेश पर रोक लगा दी गई थी। परिणामस्वरूप, श्री राठौर ने वर्तमान की देखभाल करना जारी रखा।

निदेशक, सी. सी. बी. एफ., सूरतगढ़ के पद के कर्तव्य।

12. अब वह प्रश्न जो हमारे विचार के लिए उत्पन्न होता है

क्या एक अधिकारी एक के वर्तमान कर्तव्यों की देखभाल कर रहा है

पद, में निहित वैधानिक शक्ति का प्रयोग कर सकता है

उस पद के नियमित पदधारी। भारत सरकार में,

गृह मंत्रालय, ओम नं. एफ. 7/14/61-अनुमान। (ए)

दिनांक 24.1.63, स्पष्टीकरण जारी किया गया था कि;

' के वर्तमान कर्तव्यों का पालन करने के लिए नियुक्त एक अधिकारी

एक नियुक्ति प्रशासनिक या वित्तीय [2018] 4 एस. सी. आर. का प्रयोग कर सकती है।

पद के पूर्ण पदाधिकारी में निहित शक्तियाँ

लेकिन वह वैधानिक शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता है चाहे वे शक्तियां सीधे संसद के किसी अधिनियम से प्राप्त हों या संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों के तहत बनाए गए नियम और उप-कानून (जैसे, मौलिक नियम)

वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील नियम सिविल सेवा विनियम वित्तीय शक्तियों के प्रतिनिधिमण्डल नियम आदि) '

(जोर दिया गया)

13. दिनांक 15.7.99 श्री के आदेश द्वारा। एम. एन. हेग, सी. सी. बी. एफ. के निदेशक के रूप में तैनात थे, लेकिन केवल इस न्यायाधिकरण के निर्देश के आधार पर

ओए में। 204/99 , श्री राठौर को वर्तमान प्रभार संभालने की अनुमति दी गई थी। जाहिर है, इससे श्री राठौर को इस पद की वैधानिक शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार नहीं मिलता।

निर्देशक। वैधानिक शक्तियों के उद्देश्य से, वे केवल एक कृषि अधिकारी थे। इस प्रकार विद्वानों का तर्क

आवेदक के लिए वकील कि श्री राठौर को 'कार्यालय का प्रमुख' घोषित किया गया था और इसलिए वे इन शक्तियों का प्रयोग कर सकते थे सी. सी. एस. (सी. सी. ए.) नियमों के नियम-2 (जे) के आधार पर नियुक्ति का कोई बल नहीं है। नियम के तहत दिए गए विशिष्ट स्पष्टीकरण को देखते हुए

12 भारत सरकार के आदेश संख्या 2 में कहा गया है कि किसी पद के कर्तव्यों का वर्तमान प्रभार संभालने वाला अधिकारी वैधानिक शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता है। निष्कर्ष स्पष्ट है कि श्री एच. एस. राठौर, आवेदकों की भर्ती के समय, केवल एक थे

निदेशक, सी. सी. बी. एफ., सूरतगढ़ का पद और उनके पास समूह-सी. और डी. में कोई नियुक्ति करने का कोई अधिकार नहीं था। यह स्पष्ट रूप से श्री राठौर के अपने अधिकार से अधिक होने का मामला है। भले ही उन्होंने नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी कर ली हो, नियुक्तियों का प्रस्ताव स्पष्ट रूप से तब तक नहीं किया जा सकता था जब तक कि उन्होंने कृषि मंत्रालय से मंजूरी प्राप्त नहीं की होती। वास्तव में, उन्होंने मंत्रालय को 16.11.99 पर अनुमोदन या इन पदों को भरने के लिए एक संदर्भ दिया था, लेकिन उन्हें सबसे अच्छी तरह से ज्ञात कारणों से, उन्होंने इस अनुमोदन का इंतजार नहीं किया और आगे बढ़कर इन पदों पर नियुक्तियों की पेशकश की। आवेदक। इससे इन आवेदकों की नियुक्ति में श्री राठौर की ओर से जल्दबाजी के पीछे के उद्देश्य के बारे में गंभीर संदेह पैदा होता है। याचिका ने अब उनकी ओर से लिया कि भारत और ए. एन. आर. का ऐसा संघ।

वी. राघुवर पाल सिंह [ए. एम. खानविलकर, जे.]

वर्तमान प्रभार को वैधानिक शक्तियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए था नियुक्तियाँ।

14. इन नियुक्तियों को अन्य आधारों पर भी दूषित किया जाता है।

तथ्य यह है कि तीनों आवेदक श्री से संबंधित हैं

राठौर, केवल एक सह-घटना नहीं हो सकती है और इस पर विचार करती है

यहां तक कि समूह-सी के सदस्य भी अनियमित होने का संकेत देते हैं। श्री राठौर द्वारा जानबूझकर अपनाए गए अभ्यास

ये नियुक्तियाँ "।

(जोर दिया गया)

7. न्यायाधिकरण ने तब इस कानूनी स्थिति को स्वीकार किया कि कोई भी

कानूनी नियमों की कोई वैधता नहीं है और यह

जो पिछले दरवाजे से आते हैं उन्हें उसी पिछले दरवाजे से लौटना पड़ता है

घ प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के संरक्षण का दावा नहीं कर सकता है। इसके लिए,

इबनाल ने संघ के मामले में इस न्यायालय के स्पष्टीकरण पर भरोसा किया

दिया और ओआरएस। बनाम। एम. भास्करन ', उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य। बनाम। यू. पी. राज्य

डब्ल्यू ऑफिसर्स एसोसिएशन और केंद्रीय विद्यालय संगठन

ओआरएस। बनाम अजय कुमार दास और अंत में उन्होंने इस प्रकार कहाः

मनमाने ढंग से भर्ती की प्रक्रिया के हर चरण पर लेकिन, कार्य किया नियुक्ति करते समय अपनी शक्तियों और अधिकार क्षेत्र से परे।

इस दृष्टिकोण से हमने यह माना है कि ये नियुक्तियां की गई थीं।

ऐसी नियुक्तियाँ करने के लिए सक्षम नहीं एक प्राधिकरण द्वारा, हम

के अन्य पहलुओं में जाना आवश्यक नहीं समझते हैं

विवाद कि एक नियुक्त व्यक्ति के पास आवश्यकता नहीं थी

योग्यता या पदों की मंजूरी की मुद्रा

समय समाप्त हो चुका था।

18. यह पिछले पैराग्राफ की चर्चाओं से स्पष्ट है।

कि ये नियुक्तियाँ पूरी तरह से अनियमित रूप से की गई हैं एक प्राधिकारी द्वारा ऐसा करने के लिए सक्षम नहीं है

नियुक्तियाँ। नियुक्ति पत्र सही रहे हैं।

1995) पूरक। 4 एससीसी 100

(1994) 2 एससीसी 204

रद्द कर दिया जाता है और रद्द करने के आदेश किसी के लिए नहीं बुलाए जाते हैं इस न्यायाधिकरण द्वारा हस्तक्षेप। आवेदक अपने पक्ष में कोई मामला स्थापित करने में बुरी तरह विफल रहे हैं। हम इन ओ. ए. को पूरी तरह से गुणों से रहित बताते हुए खारिज करते हैं। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं। "

8. व्यथित महसूस करते हुए, प्रतिवादी ने जोधपुर में राजस्थान के उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की, जो डी. बी. सिविल थी।

2002 की रिट याचिका संख्या 4235। उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने 23 अप्रैल, 2010 के निर्णय और आदेश द्वारा प्रतिवादी के इस तर्क को बरकरार रखा कि कार्यालय आदेश दिनांक 1 केवल एक तथ्य दर्ज करता है कि प्रतिवादी की नियुक्ति सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना की गई थी। ऐसे मामले में प्रतिवादी को सुनवाई का अवसर देने के बाद ही उसकी सेवाओं को समाप्त किया जा सकता है। उच्च न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी कीः

" उपरोक्त आदेश के अवलोकन पर, यह बहुत स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता की सेवाओं को समाप्त करने का एकमात्र कारण यह था कि नियुक्ति सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना की गई थी। निदेशक की क्षमता के संबंध में या अवैध नियुक्ति के लिए निदेशक के खिलाफ आरोप के संबंध में कोई अन्य आधार आरोपों को स्थापित करने के लिए शामिल नहीं किया गया है। मामले के इस दृष्टिकोण से, सेवाओं को समाप्त करने का कारण याचिकाकर्ता को नहीं बताया गया था क्योंकि विभाग ने न तो कोई नोटिस जारी किया था और न ही कोई जानकारी दी थी दिनांक 29.08.2004 आदेश पारित करने से पहले याचिकाकर्ता को सुनने का अवसर। उनकी सेवाओं को समाप्त करने का एकमात्र कारण यह है कि नियुक्ति सक्षम की मंजूरी के बिना की गई थी।

प्राधिकरण; अर्थात् इस प्रकार, न्यायाधिकरण के समक्ष मामले को लड़ने के लिए मूल आधार के अलावा अन्य आधार न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किए गए थे जो याचिकाकर्ता की सेवाओं को समाप्त करने के लिए आधार थे; अर्थात्, न्यायाधिकरण के समक्ष उत्तेजित आधार आदेश अनुलग्नक में शामिल कारणों से पूरी तरह से अलग थे। - 4. मामले के इस दृष्टिकोण में, हमारी राय है कि समाप्ति का आदेश मनमानेपन और अवैधता से ग्रस्त है, इसलिए इसके खिलाफ भी पारित किया गया है

प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत।

हम न्यायाधिकरण के समक्ष प्रत्यर्थियों द्वारा दायर उत्तर में शामिल कारण को समझने में असमर्थ हैं क्योंकि याचिकाकर्ता की सेवा समाप्त करने के उत्तर में शामिल कारणों का उल्लेख समाप्ति आदेश में नहीं किया गया है। भारत का संघ और ए. एन. आर.

वी. राघुवर पाल सिंह [ए. एम. खानविलकर, जे.]

9. उच्च न्यायालय ने तब डी. के. यादव बनाम के निर्णय को स्वीकार किया। जे. एम. ए. इंडस्ट्रीज Ltd.4 और के डिवीजन बेंच का निर्णय

भूपाल सिंह बनाम राजस्थान राज्य के मामले में वही उच्च न्यायालय। इसके बाद, उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित निष्कर्ष निकालाः

" समाप्ति आदेश के मूल्यांकन पर, हमारी राय है कि न्यायाधिकरण ने खारिज करते समय भारी त्रुटि की है

याचिकाकर्ता द्वारा दायर मूल आवेदन। इसी प्रकार, सेवाओं को समाप्त करने के लिए विभाग द्वारा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हुए 29.8.2000 का समाप्ति आदेश जारी किया गया।

याचिकाकर्ता स्पष्ट रूप से अवैध आदेश है और वही होने का हकदार है

निरस्त कर दिया।

इसलिए, डी. के. यादव के मामले (ऊपर) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले और भूप सिंह बनाम के मामले में इस न्यायालय की खंड पीठ के फैसले का पालन करते हुए। राजस्थान राज्य (ऊपर), इस रिट याचिका की अनुमति है। मूल आवेदन No.206/2000 में न्यायाधिकरण द्वारा पारित दिनांक 06.06.2002 के विवादित फैसले को दरकिनार कर दिया गया है। दिनांकित आदेश 29.08.2000 (अनुलग्नक। 4 मूल आवेदन के लिए), याचिकाकर्ता की सेवाओं को समाप्त करते हुए, रद्द कर दिया जाता है और अलग कर दिया जाता है। इसके अलावा, यह स्पष्ट किया जाता है कि समाप्ति आदेश अनुलग्नक को रद्द करने के परिणामस्वरूप। -4 , द.

याचिकाकर्ता पिछले वेतन को छोड़कर सभी परिणामी लाभों का हकदार होगा और याचिकाकर्ता को तुरंत सेवा में बहाल किया जाएगा। हालाँकि, प्रतिवादी कानून के अनुसार याचिकाकर्ता की सेवाओं को समाप्त करने के लिए नया आदेश पारित करने के लिए स्वतंत्र होंगे, यदि यह दिखाने के लिए वैध और कानूनी आधार मौजूद हैं कि याचिकाकर्ता ने नियुक्ति की मांग करते समय कोई अवैधता की है।

उच्च न्यायालय ने इस प्रकार राय दी कि समाप्ति आदेश प्रतिवादी को अवसर देने के बाद ही पारित किया जा सकता है और अन्यथा नहीं। 10. पीड़ित होते हुए, अपीलकर्ताओं ने वर्तमान विशेष अनुमति याचिका दायर की। इस न्यायालय ने न केवल अपील करने की अनुमति दी बल्कि इस पर रोक भी लगा दी

इस न्यायालय के समक्ष अपील के लंबित रहने के दौरान विवादित निर्णय का संचालन।

11. अपीलार्थी के अनुसार, उच्च न्यायालय ने प्रतिबद्ध किया

न्यायाधिकरण के सुविचारित निर्णय को पलटने में स्पष्ट त्रुटि। इस तथ्य के लिए कि आवश्यकता के अनुसार सक्षम प्राधिकारी का कोई पूर्व अनुमोदन नहीं

4 (1993) 3 एससीसी 259 5 (1988) 2 आरएलडब्ल्यू 428 [2018] 4 एस. सी. आर.

प्रत्यर्थी के पक्ष में नियुक्ति पत्र जारी करने से पहले वैधानिक नियमों के तहत प्राप्त किया गया था, निर्विवाद है। इस कारण को विषय कार्यालय के दिनांकित 29.08.2000 आदेश में स्पष्ट किया गया है। उच्च न्यायालय ने उस कारण की प्रभावकारिता पर कोई राय दर्ज किए बिना, विषय कार्यालय के आदेश को इस आधार पर दरकिनार कर दिया कि प्रतिवादी को इसे जारी करने से पहले कोई अवसर नहीं दिया गया था। केंद्रीय विद्यालय संगठन (ऊपर) और मणिपुर राज्य और अन्य के मामलों में व्याख्या पर निर्भर करते हुए। बनाम वाई। टोकन सिंह और Ors.6, यह तर्क दिया जाता है कि विषय कार्यालय आदेश जारी करने से पहले प्रतिवादी को पूर्व अवसर देना अनिवार्य नहीं था; और इस तरह की सूचना देने से कोई सार्थक उद्देश्य पूरा नहीं होता। इसलिए, उच्च न्यायालय स्पष्ट रूप से गलत था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि एक वैध और कानूनी नियुक्ति आदेश जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी का पूर्व अनुमोदन सर्वोत्कृष्टता है। जबकि, प्रत्यर्थी के पक्ष में जारी नियुक्ति आदेश शुरू से ही अमान्य था, सक्षम प्राधिकारी मामले में सुधारात्मक और उपचारात्मक कार्रवाई करने के लिए कर्तव्यबद्ध था। इससे कोई देरी नहीं हुई।

12. यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय ने मुख्य रूप से विवादित कार्यालय आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए तीन पहलुओं को दर्ज किया। पहला, कि कार्यालय के आदेश में यह नहीं कहा गया है कि प्रभारी निदेशक इसके लिए सक्षम नहीं था

नियुक्ति पत्र जारी करें। इसके अतिरिक्त, उक्त आदेश में इस बात का कोई संकेत नहीं है कि नियुक्ति प्राधिकारी ने नियुक्ति करने में कोई अवैधता की है। दूसरा, सेवाओं की समाप्ति का कारण

प्रतिवादी को नोटिस जारी करके या उसे सुनवाई का अवसर प्रदान करके सूचित नहीं किया गया था। तीसरा, न्यायाधिकरण ने विषय कार्यालय के आदेश को बरकरार रखने के लिए बाहरी तथ्यों को ध्यान में रखा, जिसमें उन आधारों को जोड़ा गया जो उसमें निर्दिष्ट नहीं हैं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उपरोक्त में से कोई भी, विषय कार्यालय के आदेश में उल्लिखित मुख्य कारण से संबंधित नहीं है-कि वही था

उच्च न्यायालय का विवादित निर्णय स्पष्ट रूप से गलत है और इसके योग्य है खारिज किया जाना चाहिए और न्यायाधिकरण के आदेश को बहाल किया जाना चाहिए,

आश्वासन दिया। प्रतिवादी के अनुसार, प्रतिवादी की नियुक्ति आवश्यक औपचारिकताओं का पालन करने के बाद की गई है

6 (2007) 5 एस. सी. सी. 65 यूनियन ऑफ इंडिया एंड ए. एन. आर. वी. राघुवर पाल सिंह [ए. एम. खानविलकर, जे.]

पशु चिकित्सा कंपाउंडर। यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्रत्यर्थी ने उस पद पर और सेवा में बने रहने का अक्षम्य अधिकार प्राप्त कर लिया है। के अनुसार प्रत्यर्थी, सुनवाई का अवसर दिए बिना उसकी सेवाओं को समाप्त नहीं किया जा सकता था। केवल अवसर प्रदान करने पर, प्रत्यर्थी यह इंगित करने में सक्षम हो सकता था कि उसकी नियुक्ति में कोई अवैधता नहीं थी। चूंकि नियुक्ति पत्र जारी करने से पहले सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी की कमी, नियुक्ति को अमान्य नहीं करती है, बल्कि एक अनियमितता है। चूंकि नियुक्ति शुरू से ही अमान्य नहीं थी, इसलिए प्रत्यर्थी को अवसर दिए बिना कोई समाप्ति आदेश जारी नहीं किया जा सकता था। प्रतिवादी ने द रेमिंगटन रैंड ऑफ इंडिया लिमिटेड के मामले में इस न्यायालय के फैसलों पर भरोसा किया है। बनाम।

द वर्कमेन, करनाल इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, करनाल बनाम प्रकाश वंती (श्रीमती) (मृत) और Anr.[3] और मॉन्ट्रियल स्ट्रीट रेलवे कंपनी बनाम नॉरमैंडिन '। प्रत्यर्थी का तर्क है कि केवल यह तथ्य कि उच्च न्यायालय ने सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी की कमी के बारे में विषय कार्यालय के आदेश में बताए गए कारण पर विचार नहीं किया है, उसे दिए गए अक्षम्य अधिकार को कम करने का कोई आधार नहीं हो सकता है। इसके अलावा, समाप्ति आदेश पारित करने से पहले सुनवाई के अवसर से वंचित रहना घातक था क्योंकि उक्त आदेश के कारण उसे नागरिक परिणाम भुगतने पड़ते थे। प्रत्यर्थी अपील को खारिज करने के लिए प्रार्थना करता है।

14. हमने अपीलार्थियों श्री ए. के. पांडा, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्रीमती सी. के. सुचरिता, श्री शैलेंद्र सैनी, श्री राज बहादुर और श्री डी. एस. माहरा, और डॉ. मनीष सिंघवी, श्री शैलजा नंदा मिश्रा, श्री सत्येंद्र कुमार, श्री युवराज सीमंत और श्री इरशाद अहमद, प्रत्यर्थी के विद्वान वकीलों के विद्वान वकीलों को सुना है।

15. विषय कार्यालय के आदेश पर लौटते हुए, हम अपीलार्थी द्वारा लिए गए रुख से सहमत हैं कि यह एक सरलीकरण है।

समाप्ति और प्रत्यर्थी के आचरण पर कोई प्रतिबिंब नहीं है। यह केवल यह स्पष्ट करता है कि उनकी नियुक्ति अवैध थी जो तत्कालीन निदेशक प्रभारी एच. एस. राठौर, कृषि अधिकारी द्वारा और सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना की गई थी। न अधिक और न ही कम।

16. अब हम कार्यालय आदेश में दर्ज कारण की प्रभावकारिता पर विचार करेंगे। पद के संबंध में भर्ती प्रक्रिया 7 (1968) 1 एससीआर 164

8 (1995) 5 एससीसी 159 9 आकाशवाणी (1917) प्रिवी काउंसिल 142 [2018] 4 एस. सी. आर.

पशु चिकित्सा कम्पाउंडर 'केंद्रीय पशु प्रजनन फार्म (श्रेणी III और श्रेणी IV पद) भर्ती नियम, 1969' शीर्षक वाले वैधानिक नियमों द्वारा शासित होता है, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया जाता है और उस संबंध में जारी किए गए कार्यकारी निर्देशों को भी शामिल किया जाता है। इस तरह के लिए बताए गए वितरण के अनुसार

नियुक्ति पत्र केवल एक अधिकृत अधिकारी द्वारा और सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन प्रदान करने के बाद जारी किया जा सकता है। प्रत्यर्थी द्वारा दायर मूल आवेदन में कहीं भी यह दावा नहीं किया गया है कि इस तरह का पूर्व अनुमोदन नियुक्ति पत्र जारी करने के लिए सार नहीं है।

17. इस विवाद को आगे बढ़ाने के लिए, हम मान सकते हैं,

वर्तमान में, तत्कालीन निदेशक प्रभारी एच. एस. राठौर, कृषि अधिकारी के पास नियुक्ति पत्र जारी करने का अधिकार था। फिर भी, वह सक्षम प्राधिकारी से पूर्व लिखित अनुमोदन प्राप्त करने पर ही ऐसा कर सकता था। मूल आवेदन में ऐसा कोई मामला नहीं बनाया गया है कि प्रतिवादी को नियुक्ति पत्र जारी करने से पहले सक्षम प्राधिकारी द्वारा उचित अनुमोदन दिया गया था। इस प्रकार, यह निर्विवाद है कि प्रतिवादी की नियुक्ति के लिए सक्षम प्राधिकारी की कोई पूर्व मंजूरी नहीं दी गई थी। ऐसे मामले में, विचार के लिए अगला तार्किक मुद्दा यह हैः क्या प्रत्यर्थी को जारी किया गया नियुक्ति पत्र निरर्थकता का मामला होगा या केवल अनियमितता का? यदि यह शून्यता का मामला है, तो पदधारी को अवसर देना केवल एक औपचारिकता होगी और

अवसर न देने से समाप्ति का अंतिम निर्णय दूषित नहीं हो सकता है। उनकी सेवाओं के लिए। न्यायाधिकरण ने ठीक ही कहा है कि सक्षम प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी के अभाव में, प्रभारी निदेशक ऐसा नहीं कर सकता है

नियुक्ति पत्र जारी करने में तेजी लाई है। इसलिए, तत्कालीन निदेशक प्रभारी को नियुक्त करने और हटाने का कार्य अधिकार की कमी और कानून में अकृतता के दुष्प्रभावों से ग्रस्त होगा।

18. एक और पहलू है जिसे उच्च न्यायालय ने नजरअंदाज कर दिया है। विषय कार्यालय आदेश दिनांकित 29.08.2000 के साथ खुलता है

विषय कार्यालय आदेश में शामिल। इसके अलावा, विषय कार्यालय के आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्रत्यर्थी की नियुक्ति तत्कालीन निदेशक प्रभारी एच. एस. राठौर, कृषि अधिकारी द्वारा अवैध रूप से की गई थी। यह अवैध नियुक्ति का कारण एकतरफा संविधान को अपने दायरे में लेता है

चयन बोर्ड (चयन बोर्ड के निर्धारित संविधान के अनुसार नहीं) और एच. एस. राठौर ने भी खुद को ऐसे बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नामित किया, हालांकि भारत और ए. एन. आर. के संघ के कारण बोर्ड में रहने के लिए अयोग्य घोषित किया गया।

उम्मीदवार उससे संबंधित था। नतीजतन, मंत्रालय ने मामले के सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए उच्चतम स्तर पर समग्र निर्णय लिया, जिसमें यह भी शामिल था कि यह न केवल प्रतिवादी की एकल नियुक्ति थी, बल्कि एच. एस. राठौर द्वारा उनके हस्ताक्षर के तहत जारी किए गए अन्य नियुक्ति पत्र भी थे। एच. एस. राठौर के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू करने के अलावा मंत्रालय द्वारा ऐसी सभी नियुक्तियों को उसी तरीके से रद्द कर दिया गया है। संक्षेप में कहें तो एच. एस. राठौर द्वारा की गई सभी नियुक्तियां धोखाधड़ी और बिना अधिकार के होने के कारण जांच के दायरे में आईं। इस तरह की नियुक्तियां स्पष्ट रूप से कानून की दृष्टि से अमान्य होंगी।

19. न्यायाधिकरण ने मामलों में स्पष्टीकरण पर न्यायसंगत रूप से भरोसा किया था

एम. भास्करन (ऊपर) और विशेष रूप से, केंद्रीय विद्यालय संगठन (ऊपर)। बाद के मामले में, रिपोर्ट किए गए निर्णय के पैराग्राफ 5 में, इसी तरह की स्थिति से निपटने के दौरान, अदालत ने कहा कि यदि नियुक्ति पत्र अमान्य हैं, जो एक अधिकारी द्वारा जारी किए गए हैं, जो ऐसा करने का अधिकार नहीं रखते हैं, तो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के पालन का कोई सवाल ही नहीं है, भले ही प्रभावित पक्ष अदालत के समक्ष न हो।

20. मणिपुर राज्य (ऊपर) के मामले में, नियुक्ति

पत्रों को इस आधार पर रद्द कर दिया गया कि वे राज्य विभाग की जानकारी के बिना जारी किए गए थे। न्यायालय ने रिपोर्ट किए गए निर्णयों को स्वीकार करने के बाद निष्कर्ष निकाला कि उम्मीदवार पदों पर बने रहने के हकदार नहीं थे और ऐसी प्रकृति के मामले में, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करने की आवश्यकता नहीं थी, विशेष रूप से जब वे निरर्थकता में परिणाम देंगे। रिपोर्ट किए गए निर्णय के पैराग्राफ 22 में विज्ञापन देना उपयोगी हो सकता है, जो इस प्रकार हैः

> " 22. इसलिए, हमारी राय में, उत्तरदाता हकदार नहीं थे।
>
> पदों को संभालने के लिए। इस प्रकृति के मामले में, जहां तथ्य
>
> स्वीकार किया जाता है, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत नहीं थे
>
> अनुपालन की आवश्यकता है, विशेष रूप से जब समान हो
>
> निष्फलता में परिणाम होगा। यह सच है कि जहाँ नियुक्तियाँ हुई थीं
>
> किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा या कम से कम कुछ कदम उठाए गए हैं
>
> उस ओर से लिए गए, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत हैं इस न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए अनुपालन की आवश्यकता है
>
> मुरुगैया उदयार में 1 0 "

(जोर दिया गया)

10 (1991) सप.

331 [2018] 4 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

0. रिपोर्ट किए गए निर्णय के पैराग्राफ 30 में, अदालत ने एम. सी. मेहता बनाम मामले में स्थिति को बदल दिया। भारत संघ और अन्य "। 1 जो

'बेकार औपचारिकता' सिद्धांत। यह प्रजनन के लिए उपयुक्त है

रिपोर्ट किए गए निर्णय के 30 से 32 तक, जो इस प्रकार हैः

$ 30 . एम. सी. मेहता बनाम भारत संघ के मामले में यह न्यायालय विकसित हुआउन्होंने "बेकार औपचारिकता" सिद्धांत बताते हुए कहाः (SCCPP.246-47, पैरा 22)

" हाल ही में लॉर्ड बिंघम ने आर. वी. में 'बेकार औपचारिकता' सिद्धांत की निंदा की है। थेम्स घाटी पुलिस बल के मुख्य कांस्टेबल, एक्स पी कॉटन "छह कारण बताते हुए। (यह भी देखें

उनका लेख 'क्या सार्वजनिक कानून उपचार विवेकाधीन होना चाहिए?

1991 पीएल, पृ. 64) 'बेकार' की एक विस्तृत और जोरदार आलोचना

औपचारिकता सिद्धांत 'प्राकृतिक' में बहुत पहले बनाया गया है।

न्याय, पदार्थ या छाया प्रो। कनाडा के डी. एच. क्लार्क (1975 पी. एल., पीपी देखें। 27-63) यह तर्क देते हुए कि मैलोक और ग्लिन को गलत तरीके से तय किया गया था। फौल्क्स (प्रशासनिक कानून, 8 वीं संस्करण, 1996, p.323), क्रेग (प्रशासनिक कानून, तीसरी संस्करण, पी। 596) और अन्य का कहना है कि न्यायालय इस बात का अनुमान नहीं लगा सकता कि क्या निर्णय लिया जाना है

निर्णय लेने वाले प्राधिकारी द्वारा। डी स्मिथ (5 वीं संस्करण। , 1994 ,

स्वयं किसी भी एक दृष्टिकोण के लिए हालांकि विवेक हमेशा साथ होता है अदालत। वेड (प्रशासनिक कानून, 5 म संस्करण, 1994, पृ. 526 30) में कहा गया है कि हालांकि निरर्थक रिट जारी नहीं की जा सकती हैं, लेकिन निर्णय की प्रकृति के अनुसार अंतर किया जाना चाहिए। इस प्रकार,

स्वीकार किए गए मामलों के अलावा अन्य मामलों के संबंध में या निर्विवाद तथ्यों में, राय में काफी भिन्नता है

क्या आवेदक को यह साबित करने के लिए मजबूर किया जा सकता है कि

परिणाम उसके पक्ष में होगा या उसे एक मामला साबित करना होगा

सार या यदि वह सफलता की 'वास्तविक संभावना' साबित कर सकता है या यदि वह राहत का हकदार है, भले ही सफलता की कुछ दूरस्थ संभावना हो। हालाँकि, हम यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसे मामलों में भी जहाँ तथ्य सभी स्वीकार या विवाद से परे नहीं हैं, वहाँ एक है

काफी सर्वसम्मति है कि अदालतें, उनके प्रयोग में

‘ विवेकाधिकार ', इनकार प्रमाणपत्र, निषेध, आदेश या

निषेधाज्ञा भले ही प्राकृतिक न्याय का पालन नहीं किया जाता है। हम यह भी कह सकते हैं कि राज्य में मामलों की एक और श्रृंखला है।

5 एस. सी. सी. 237

आर. एल. आर. 344 यूनियन ऑफ इंडिया एंड ए. एन. आर. वी. राघुवर पाल सिंह

[ए. एम. खानविलकर, जे.]

बैंक ऑफ पटियाला बनाम। एस. के. शर्मा 1 3, राजेंद्र सिंह बनाम। M.P.14 की स्थिति कि वैधानिक प्रावधानों के संबंध में भी

नोटिस की आवश्यकता होती है, मामलों के बीच एक अंतर किया जाना है जहाँ प्रावधान व्यक्तिगत लाभ के लिए है और जहाँ

एक प्रावधान का उद्देश्य सार्वजनिक हित की रक्षा करना है। पूर्व में मामले में, इसे माफ किया जा सकता है जबकि बाद वाले के मामले में, यह नहीं किया जा सकता है

माफ कर दिया जाए "।

(मूल में जोर)

31. केंद्रीय विद्यालय संगठन में यह आयोजित किया गया थाः (एस. सी. सी पी. 505 , पैरा5)

" यह स्पष्ट है कि यदि सेवाओं की समाप्ति के बाद

डॉ. के. सी. राकेश ने कहा, नियुक्ति के आदेश जारी किए जाते हैं,

इस तरह के आदेश मान्य नहीं हैं। यदि इस तरह के नियुक्ति आदेश एक हैं शून्यता, प्राकृतिक सिद्धांतों के पालन का सवाल

न्याय नहीं होगा। "

32. बार काउंसिल ऑफ इंडिया बनाम केरल उच्च न्यायालय 1 5 में

कहा गया थाः (एससीसी p.323, पैरा45)

" प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत, हालांकि, नहीं हो सकते हैं

बहुत दूर तक फैला हुआ। उनके आवेदन के अधीन हो सकता है

किसी कानून या वैधानिक नियम के प्रावधान।

(जोर दिया गया)

वर्तमान मामले में, नियुक्ति पत्र सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना जारी किया गया था।

22. धीरेंद्र सिंह और ओआरएस में। बनाम हरियाणा राज्य और Ors.[1],

अपीलार्थी की समाप्ति, यद्यपि बिना किसी सूचना के, न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया गया था क्योंकि स्वीकार किया जाता है कि इसे न्यायालय द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था।

सक्षम प्राधिकारी। अंतर्निहित सिद्धांत वर्तमान मामले में प्रोप्रियो वीगर लागू करेगा, क्योंकि नियुक्ति पत्र एक द्वारा जारी किया गया है ऐसा अधिकारी जिसके पास ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं था और यह भी कि यह सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी की प्रतीक्षा किए बिना जारी किया गया था। नतीजतन, इस तरह की नियुक्ति को रद्द करने का पत्र जारी करने से पहले प्रत्यर्थी को अवसर देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। केवल तथ्य

13 (1996) 3 एस. सी. सी. 364

14 (1996) 5 एससीसी 460

15 (2004) 6 एस. सी. सी. 311 16 (1997) 2 एससीसी 712 [2018] 4 एस. सी. आर.

यह कि इस तरह का नियुक्ति पत्र प्रत्यर्थी के पक्ष में जारी किया गया था, उसके पक्ष में कोई अधिकार प्रदान नहीं करता है

सुनने का अवसर।

22. उच्च न्यायालय के विवादित निर्णय की ओर लौटते हुए, उच्च न्यायालय ने अपने सही परिप्रेक्ष्य में विषय कार्यालय आदेश दिनांक 29.08.2000 में दर्ज महत्वपूर्ण कारण की प्रभावकारिता का विश्लेषण नहीं किया है। वास्तव में, उच्च न्यायालय ने नोट किया है कि सक्षम की पूर्व मंजूरी अधिकार अनिवार्य नहीं था। यह अवलोकन, हमारी राय में, स्पष्ट रूप से गलत है। हम न्यायाधिकरण द्वारा व्यक्त इस विचार की पुष्टि करते हैं कि प्रतिवादी की नियुक्ति शासी नियमों के अनुरूप नहीं थी और

उस संबंध में कार्यकारी निर्देश।

23. इसके अलावा, उच्च न्यायालय केवल इस आधार पर विषय कार्यालय के आदेश में हस्तक्षेप नहीं कर सकता था कि इसे बिना जारी किए जारी किया गया था

प्रत्यर्थी को अवसर प्रदान करना। दूसरा कारण जो था

उच्च न्यायालय के साथ विचार करने पर, हमारी राय में, वर्तमान मामले की तथ्य स्थिति का कोई लाभ नहीं होगा। यह तथ्य कि विषय कार्यालय के आदेश में तत्कालीन निदेशक प्रभारी को किसी भी उद्देश्य के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया गया है, हो सकता है

इसे अमान्य करने का कोई आधार नहीं है। हमारी राय में, कार्यालय आदेश न्यायसंगत और ठोस कारण दर्ज करता है कि प्रतिवादी की नियुक्ति अवैध क्यों है। जब तक विषय कार्यालय के आदेश में उल्लिखित मुख्य कारण असमर्थनीय नहीं पाया जाता, तब तक उच्च न्यायालय यह निष्कर्ष नहीं निकाल सकता था कि विषय कार्यालय का आदेश केवल इसलिए दूषित किया गया था क्योंकि यह प्रतिवादी को बिना किसी सूचना या अवसर की कमी के जारी किया गया था। इसी तरह, यह तथ्य कि न्यायाधिकरण ने पक्षों द्वारा आग्रह किए गए अन्य आधारों पर ध्यान दिया है (अन्य

विषय कार्यालय आदेश में उल्लिखित कारण की तुलना में), अपने आप में, विषय कार्यालय आदेश को अमान्य करने का आधार नहीं हो सकता है जो अन्यथा न्यायसंगत और उचित है। उच्च न्यायालय न्यायाधिकरण द्वारा ध्यान में रखे गए उन अन्य कारणों/आधारों को नजरअंदाज कर सकता था।

24. प्रत्यर्थी द्वारा लिए गए निर्णयों की ओर लौटते हुए, हम यह समझने में विफल रहते हैं कि द रेमिंगटन के मामले में निर्णय कैसे लिया जाता है।

रैंड ऑफ इंडिया लिमिटेड (उपरोक्त) प्रत्यर्थी के लिए किसी भी तरह से फायदेमंद होगा। उस मामले में, न्यायालय को वैधानिक अवधि के भीतर माननीय न्यायाधिकरण द्वारा पारित पुरस्कार को प्रकाशित नहीं करने के प्रभाव पर विचार करने के लिए कहा गया था। उस प्रश्न के संदर्भ में, न्यायालय ने राय दी कि औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 17 (1) में प्रावधान केवल निर्देशिका थी और

यह अनिवार्य नहीं है और उस आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया है कि 30 दिनों से अधिक के पुरस्कार के प्रकाशन से यह अमान्य नहीं होगा। वर्तमान मामले में, नियुक्ति पत्र नामित निदेशक द्वारा और भारत और ए. एन. डी. आर. संघ के बाद ही जारी किया जा सकता है।

वी. राघुवर पाल सिंह [ए. एम. खानविलकर, जे.]

सक्षम प्राधिकारी (वरिष्ठ अधिकारी) से पूर्व अनुमोदन का अनुदान

प्रशासनिक व्यवस्था के पदानुक्रम में प्राधिकरण)। इस तरह की मंजूरी के बिना, तत्कालीन प्रभारी निदेशक किसी भी मामले में जल्दबाजी नहीं कर सकते थे

नियुक्ति पत्र जारी करने की प्रक्रिया, एक ऐसी कार्रवाई जिसके बिना

कानून का अधिकार और एक शून्यता।

25. करनाल सुधार न्यास, करनाल (उपरोक्त) के मामले में, न्यायालय ने कानून के तहत मंत्री अधिनियमों और वैधानिक या अर्ध न्यायिक कार्यों के बीच अंतर पर विचार किया और उस संदर्भ में कहा कि कुछ किया जाना चाहिए या एक विशेष तरीके से और स्पष्ट रूप से किया जाना चाहिए। यह घोषणा करते हुए कि गैर-अनुपालन का परिणाम क्या होगा, इसका प्रभाव उल्लंघन को केवल निर्देशिका की आवश्यकता के रूप में मानना होगा और कार्रवाई को अमान्य नहीं करना होगा, ताकि इसकी अवहेलना की जा सके। इस निर्णय में बताए गए सिद्धांत का प्रत्यर्थी के लिए कोई लाभ नहीं होगा। इस मामले के तथ्यात्मक मैट्रिक्स के आलोक में, प्रत्यर्थी के पक्ष में नियुक्ति पत्र अवैध रूप से निदेशक प्रभारी एच. एस. राठौर, कृषि अधिकारी द्वारा और सक्षम प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना जारी किया गया था। यह एक शून्य था।

26. यहां तक कि मॉन्ट्रियल स्ट्रीट रेलवे कंपनी (ऊपर) का मामला भी

27. हमें यह निष्कर्ष निकालने में कोई संकोच नहीं है कि वर्तमान मामले की वास्तविक स्थिति में, विषय कार्यालय आदेश जारी करने से पहले प्रतिवादी को सुनवाई का अवसर देना एक आवश्यक आवश्यकता नहीं थी। और यह निरर्थकता में एक अभ्यास होगा। हमने जो दृष्टिकोण अपनाया है, उसके लिए डी. के. यादव (ऊपर) में स्पष्टीकरण, जिसने उच्च न्यायालय की सराहना की, हमारी राय में, एक नियुक्ति से संबंधित वर्तमान मामले की तथ्य स्थिति पर कोई अनुप्रयोग नहीं है जो शुरू से ही शून्य और शून्य है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

28. तदनुसार, हम विवादित निर्णय और आदेश को दरकिनार कर देते हैं

ए.

प्रत्यर्थी द्वारा दायर मूल आवेदन को खारिज करते हुए उच्च न्यायालय के केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के दिनांकित 06.06.2002 के फैसले को बहाल करना।

30. अपील बिना किसी आदेश के उपरोक्त शर्तों में सफल होती है -

बी लागत।

कल्पना के. त्रिपाठी